AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश के लिए सुरक्षित: 19.02.2020

आदेश पारित किया गया: 23.03.2020

डब्ल्यूपी (227) नंबर 622/2018

बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक कृष्ण कांत हवालदार, पिता श्री सी.आर. हवालदार, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी - झंकार सिनेमा, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता), बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. जी. अनंत राव, पिता श्री जी. सूर्यनारायण, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी - गांव ब्रिंद्राबाद सेमरा, तहसील - जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।

----प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अंकित सिंघल, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए: श्री राहुल तमस्कर, अधिवक्ता

माननीय न्यायाधीश श्री राजेंद्र चंद्र सिंह समंत

सी.ए.वी. आदेश

23/03/2020

1. यह याचिका प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मामले संख्या 32/2015 में पारित दिनांक 31.01.2018 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को मुआवजा, हर्जाना और कार्यवाही की लागत देने का निर्देश दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश एकपक्षीय और अवैध है, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संक्षेप में अधिनियम, 1987) के स्पष्ट प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। धारा 22(सी)(4) में प्रावधान है कि याचिका में पक्षकारों की दलीलें पूरी हो जाने के बाद, स्थायी लोक अदालत पक्षकारों के बीच सुलह प्रक्रिया संचालित करेगी। उप-धारा (5) के अनुसार, स्थायी लोक अदालत उप-धारा (4) के अंतर्गत सुलह प्रक्रिया संचालित करेगी और विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रयास में पक्षकारों की सहायता करेगी। इसके बाद, उप-धारा (7) के तहत, यदि सुलह प्रक्रिया के परिणामस्वरूप स्थायी लोक अदालत को यह प्रतीत होता है कि विवाद के समाधान के तत्व मौजूद हैं, जिन्हें पक्षकार स्वीकार कर सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित समाधान की शर्तों को तैयार करेगी और संबंधित पक्षकारों को विचार, टिप्पणियों और किसी भी समझौते पर पहुँचने के लिए प्रदान करेगी। यदि विवादित पक्षकारों के बीच कोई समझौता होता है, तो स्थायी लोक अदालत उसके अनुसार एक पुरस्कार पारित करेगी। धारा 22(सी) की उप-धारा (8) स्थायी लोक अदालत को यह अधिकार प्रदान करती है कि यदि पक्षकार उप-धारा (7) के तहत किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं, तो वह स्वयं विवाद का निपटारा कर सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय स्थायी लोक अदालत ने पक्षकारों के बीच किसी भी सुलह प्रक्रिया को संचालित नहीं किया और सीधे विवादित आदेश द्वारा विवाद का निर्णय कर दिया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2019, जो कि डब्ल्यूपी (227) संख्या 265/2017, शाखा प्रबंधक, चोलामंडलम बनाम श्रीमती मंजू राठौर में पारित किया गया था, पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया था कि स्थायी लोक अदालत अधिनियम की धारा 22(सी) (3) से (7) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है और ऐसे अनुपालन के बिना स्थायी लोक अदालत को पक्षकारों के बीच विवाद का

निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः, प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने इस याचिका में उठाए गए आधारों और इस संबंध में किए गए प्रस्तुतियों का विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने स्थायी लोक अदालत के समक्ष इस याचिका में उल्लिखित किसी भी आधार को नहीं उठाया था, बल्कि केवल विचारणीयता (maintainability) का आधार उठाया था। प्रतिवादी को उसके पक्ष में दिए गए राहत पाने का पूरा अधिकार है। अतः, इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है, जिसे खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रतिवाद में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय क्षेत्राधिकार से परे है, क्योंकि अधिनियम, 1987 की धारा 22(सी) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

6. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. प्रतिवादी संख्या 2 ने अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के तहत एक शिकायत दायर की थी, जिसमें कहा गया कि उसने नीलामी में आवेदक से ट्रैक्टर पंजीयन संख्या C.G.-17-G-4313 और ट्रॉली पंजीयन संख्या C.G.-17-G-4314 को 4.00 लाख रुपये में खरीदा था। आवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी को ट्रैक्टर और ट्रॉली का कब्जा सौंप दिया गया, लेकिन कई बार पत्राचार करने के बावजूद उक्त ट्रैक्टर और ट्रॉली का पंजीयन प्रतिवादी संख्या 2 के नाम स्थानांतरित नहीं किया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 अपने पक्ष में ट्रैक्टर और ट्रॉली

का उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए उसे राहत की प्रार्थना करते हुए आवेदन दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

8. आवेदक ने मामले का विरोध केवल उस आरोप के आधार पर किया, जो प्रतिवादी द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र उसके पक्ष में स्थानांतरित न किए जाने को लेकर लगाया गया था। आवेदक ने यह उल्लेख किया कि अपरिहार्य कारणों से पंजीयन प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया जा सका, जिसके लिए आवेदक उत्तरदायी नहीं है।

9. प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 22(बी) के तहत आवेदन 25.08.2015 को दायर किया गया था। कई बार स्थगन (adjournments) के बाद, आवेदक ने 02.11.2015 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामला समझौते और दोनों पक्षों के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया गया। दिनांक 30.11.2015 को, पक्षकारों के अनुरोध पर, मामला समझौते के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत को भेजा गया। हालांकि, पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिससे कोई समझौता नहीं हो सका। इसके बाद, साक्ष्य दर्ज करने और समझौते के लिए विभिन्न तिथियां निर्धारित की गईं। दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज किए गए, और तर्कों को सुनने के बाद स्थायी लोक अदालत द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जो कि विवादित आदेश है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. धारा 22C (4) (5) (6) और (7) के प्रावधान प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

"22C. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान -

(1) XXXXXX

(2) XXXXXX

(3) XXXXXX

(4) जब उप-धारा (3) के तहत कथन, अतिरिक्त कथन और उत्तर (यदि कोई हो) स्थायी लोक अदालत की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत कर दिए जाएं, तो वह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक और प्रतिवादी के बीच सुलह प्रक्रिया इस प्रकार संचालित करेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

(5) स्थायी लोक अदालत, उप-धारा (4) के तहत सुलह प्रक्रिया के संचालन के दौरान, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के प्रयास में पक्षकारों की सहायता करेगी।

(6) यह प्रत्येक पक्षकार का कर्तव्य होगा कि वह विवाद के सुलह में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और साक्ष्य तथा अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देशों का पालन करे।

(7) जब स्थायी लोक अदालत उपरोक्त सुलह प्रक्रिया के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि समझौते की संभावनाएँ मौजूद हैं, जिन्हें पक्षकार स्वीकार कर सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित समाधान की शर्तों को तैयार कर सकती है और इसे संबंधित पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत कर सकती है। यदि पक्षकार समझौते या विवाद के निपटारे पर सहमत होते हैं, तो वे समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके अनुसार एक निर्णय (पुरस्कार) पारित करेगी तथा इसकी प्रति प्रत्येक संबंधित पक्षकार को प्रदान करेगी।

(8) XXXXX".

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इन प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 22C(4) के अनुसार, यह स्थायी लोक अदालत का स्वयं का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों के बीच सुलह प्रक्रिया संचालित करे। इसके अलावा, उप-धारा (5) के तहत, स्थायी लोक अदालत को यह अनिवार्य रूप से करना होगा कि

वह पक्षकारों की सहायता करे और विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने का प्रयास स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करे।

12. साथ ही, उप-धारा (7) में स्थायी लोक अदालत को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह राय बना सके कि यदि सुलह प्रक्रिया में समझौते की संभावनाएँ मौजूद हैं, जिन्हें पक्षकार स्वीकार कर सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित समाधान की शर्तों को तैयार करे और उन्हें संबंधित पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करे। यदि पक्षकार विवाद के समाधान पर सहमत होते हैं, तो स्थायी लोक अदालत उसके अनुसार एक निर्णय (पुरस्कार) पारित करेगी।

13. धारा 22C(8) के प्रावधान में उल्लेख किया गया है कि केवल तब, जब पक्षकार उप-धारा (7) के अंतर्गत किसी समझौते पर पहुँचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत को पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। धारा 22C की उप-धारा (7) का संबंध उप-धारा (4), (5) और (6) के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन सभी प्रावधानों को एक साथ पढ़ना आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि स्थायी लोक अदालत को सुलह प्रक्रिया को सक्रिय रूप से संचालित करने में क्या भूमिका निभानी है और इस संबंध में कानून द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कैसे करना है। कोई भी स्थायी लोक अदालत सीधे विवाद का निपटारा करने के लिए नहीं कूद सकती। शाखा प्रबंधक, चोलामंडलम बनाम श्रीमती मंजू राठौर (उल्लिखित मामले) में, स्थायी लोक अदालत ने केवल इतना प्रयास किया कि मामला कई बार लोक अदालत को भेजा गया, और केवल इसी आधार पर यह माना गया कि स्थायी लोक अदालत ने सुलह का प्रयास किया था। विद्वान एकल पीठ ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम, 1987 की धारा 22C(3) से (7) का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया था।

14. इस विशेष मामले में, पूरी आदेश पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि मामला केवल एक बार राष्ट्रीय लोक अदालत को भेजा गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कोई सुलह कार्य नहीं माना जा सकता। स्थायी लोक अदालत को उप-धारा (4), (5) और (7) के तहत जो कर्तव्य सौंपा गया था, उसे कभी पूरा नहीं किया गया। अतः, स्थायी लोक अदालत, अर्थात प्रतिवादी संख्या 1, को यह अधिकार नहीं है कि वह अधिनियम, 1987 की धारा 22C(8) के तहत पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करे, जब तक कि धारा 22C(4), (5) और (7) के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाए।

15. उपरोक्त चर्चाओं के दृष्टिगत, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है। मामला संख्या 32/2015 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 31.01.2018 का उक्त आदेश निरस्त किया जाता है। मामले को स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ), जगदलपुर, बस्तर को वापस भेजा जाता है, जिसके लिए यह निर्देश दिया जाता है कि वह कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही को आगे बढ़ाए और इसे यथाशीघ्र पूर्ण करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-
(राजेंद्र चंद्र सिंह समंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**